257

राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प.9(1)शिक्षा–5 / 2010पार्ट   जयपुर, दिनांकः 31/10/11

निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।

विषयः–निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारण करने बाबत्।
सन्दर्भः– आपका पत्र क्रमांक शिविरा / प्रारं / आर.टी.ई. / 19620 / निःशुल्क / 10–11 / वो–1 / 84 दिनांक 26.9.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रकिया का निर्धारण करने हेतु निदेशालय द्वारा जारी किये जाने वाले निर्देशों एंव प्रपत्रों का निर्देशानुसार अनुमोदन किया जाकर पत्र एंव प्रपत्र 1 से 13 संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया अनुमोदित निर्देशों एवं प्रपत्रों को जारी कर विभागीय बेबसाईट पर भी प्रकाशन करवाने की व्यवस्था करें ।

संलग्न उपरोक्तानुसार

शासन उप सचिव

o/c

255

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई/19626/निःशुल्क/10-11/वो-1/ दिनांक: अक्टूबर , 2011

1. समस्त उप निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)

विषयः- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारण करने बाबत्।

जैसा कि आपको विदित है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 सम्पूर्ण देश में दिनांक 01 अप्रेल 2010 से प्रभावशील हो गया है। इस अधिनियम के प्रावधान राज्य में स्थित सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों जिनमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण कार्य होता है पर लागू होते हैं, चाहे वह विद्यालय अनुदानित अथवा गैर-अनुदानित हों तथा चाहे वह केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हो या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हों अथवा अन्य किसी बोर्ड/संस्था से सम्बद्ध हों। उक्त अधिनियम राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद की वैबसाइट (www.rajssa.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 38 में राज्य सरकार को प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने इस अधिनियम की क्रियांविति हेतु "राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011" निर्मित कर मार्च 29, 2011 को अधिसूचित किए हैं। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नियम राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद की वैबसाइट पर उपलब्ध हैं।

उक्त अधिनियम में विधार्थियों के प्रवेश के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं जिनकी पालना सुनिश्चित किया जाना समस्त सरकारी एवं गैर-सरकारी विधालयों के लिए बाध्यकारी है। इस संबंध में आपका ध्यान निम्नांकित प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है-

- उक्त अधिनियम की धारा 13(1) में यह प्रावधान है कि कोई भी विधालय या व्यक्ति किसी बालक को प्रवेश देते समय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहित नहीं करेगा (shall not collect any capitation fee) और बालक

2

या उसके माता-पिता अथवा संरक्षक को किसी अनुवीक्षण प्रक्रिया (screening procedure) के अधीन नहीं रखेगा।

- ''अनुवीक्षण प्रक्रिया'' को उक्त अधिनियम की धारा 2 में निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:-

  ''अनुवीक्षण प्रक्रिया'' से किसी अनिश्चित पद्धति से भिन्न दूसरों पर अधिमानता में किसी बालक के प्रवेश के लिए चयन की पद्धति अभिप्रेत है।

  "screening procedure" means the method of selection for admission of a child, in preference over another, other than a random method."

उक्त अधिनियम की धारा 35(1) के द्वारा केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यावयन के प्रयोजनों हेतु ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी जो वह ठीक समझे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने उनके पत्र क्रमांक 1-15/2010-EE-4 दिनांक 23/11/2010 के द्वारा भर्ती प्रक्रिया के संबंध में निम्नानुसार मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किये हैं:-

(1) With regard to admissions in class I (or re-primary class as the case may be) under section 12(1)(c) of the RTE Act in unaided and "specified category" schools, schools shall follow a system of random selection out of the applications received from children belonging to disadvantaged groups and weaker sections for filling the pre-determined number of seats in that class, which should not be less than 25% of the strength of the class.
(2) For admission to the remaining 75% of the seats (or a lesser percentage depending upon the number of seats fixed by the school for admission under section 12(1)(c) in respect of unaided schools and specified category schools, and for all the seats in the aided schools, each school should formulate a policy under which admissions are to take place. This policy should include criteria for categorisation of applicants in terms of the objectives of the school on a rational, reasonable and just bases. There shall be no profiling of the child based on parental educational qualifications. The policy should be placed by the school in the public domain, given wide publicity and explicitly stated in the school prospectus. There shall be no testing and interviews for the child/parent falling within or outside the categories, and selection would be on a random basis. Admissions should be made strictly on this basis."

उक्त अधिनियम तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुरुप समस्त गैर-सरकारी विद्यालयों में प्रवेश की स्पष्ट नीति बनाई जानी आवश्यक है जिसमें निम्न प्रावधानों को स्पष्ट रुप से सम्मिलित किया जावे:-

1- अधिनियम की धारा 12 के प्रावधान के अनुरुप समस्त गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों जिनमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण कार्य लागू होता है, कक्षा 1 अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षा में, जैसी भी स्थिति हो, दाखिल किये जाने वाले बालकों की कुल संख्या की कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक "दुर्बल वर्ग" और "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों को प्रवेश देंगे। "दुर्बल वर्ग" तथा "असुविधाग्रस्त समूह" को इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.21(19)Edu.1/E.E./2009 दिनांक 29 मार्च, 2011 के द्वारा परिभाषित किया गया है। दोनों अधिसूचनाओं की प्रतिलिपि राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद की वैबसाइट पर उपलब्ध हैं।

2- "दुर्बल वर्ग" और "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों को विद्यालय में 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिये आवेदन पत्र गुलाबी (PINK) रंग के होंगें तथा इस श्रेणी (category) के बालक/बालिकाओं से प्राप्त प्रवेश आवेदन पत्रों को एक पृथक रजिस्टर में क्रमवार दर्ज किया जायेगा। समस्त आवेदन पत्रों की पावती (RECEIPT) आवश्यक रुप से छात्र/अभिभावक को निर्धारित प्रपत्र में दी जानी है।

3- "दुर्बल वर्ग" और "असुविधाग्रस्त समूह" के बालक/बालिकाओं हेतु निर्धारित 25 प्रतिशत सीटों हेतु प्राप्त प्रवेश आवेदन पत्र इस श्रेणी (category) की सीटों की संख्या से अधिक होने की स्थिति में, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 10 के प्रावधानानुसार लौटरी द्वारा प्रवेश प्रदान किया जायेगा। लौटरी की कार्यवाही शाला प्रबन्धन समिति (एस.एम.सी.) के सदस्य एवं अभिभावकों की उपस्थिति में समपन्न की जायेगी। लौटरी निकालने की दिनांक, समय व स्थान का प्रचार-प्रसार पर्याप्त समय पूर्व करना आवश्यक होगा।

4- प्रवेश आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जारी किया जायेगा।

5- विद्यालय मे 1 से 8 की कक्षाओं में प्रवेश के लिये किसी भी बालक या उसके माता-पिता अथवा संरक्षण को किसी अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) प्रक्रिया के अधीन नहीं रखेगा। यह सुनिश्चित किया जाना है कि सभी विद्यालयों द्वारा प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी रखी जावे तथा उनके द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया को आमजन के सूचनार्थ प्रसारित किया जावे।

6- प्रत्येक गैर-सरकारी विद्यालय उक्त प्रावधानानुसार अपने विद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया तैयार कर दिनांक 30.11.2011 तक मय टाइम-फ्रेम प्रपत्र-13 के अनुसार जारी करेगा।

7- सभी गैर-सरकारी विद्यालय प्रवेश प्रक्रिया को शाला के बाहर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगें। यदि उस विद्यालय की वैबसाइट हो तो उस पर भी डालें व अन्य माध्यमों से सार्वजनिक डोमेन (public domain) में रखेंगें। सभी विद्यालय निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया को उनकी शाला के प्रोस्पेकटस् (prospectus) में भी सम्मिलित करेंगें।

8- तय की गई प्रवेश प्रक्रिया की एक प्रति प्रत्येक गैर-सरकारी विद्यालय द्वारा अपने परिक्षेत्र के नॉडल प्रधानाध्यापक (उच्च प्राथमिक विद्यालय) को आवश्यक रुप से उपलब्ध करायेंगें। उक्त प्रवेश प्रक्रिया के प्रबोधन (मॉनेटरिंग) के लिये संलग्न प्रपत्रों अनुसार (प्रपत्र संख्या 1 से 13) परिवीक्षण कर गैर-सरकारी विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा।

9- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक(प्रथम/तीय) को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार सभी गैर सरकारी विद्यालयों को पालना हेतु पाबन्द करें। नॉडल प्रधानाध्यापक (उच्च प्राथमिक विद्यालय), ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी उनके परिक्षे में स्थित गैर सरकारी विद्यालयो की 14.11.2011 तक बैठक लेकर उन्हें उक्तानुसार जानकारी देकर पालना हेतु निर्देशित करेंगे।

10- नॉडल प्रधानाध्यापक (उच्च प्राथमिक विद्यालय), ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी उनके क्षेत्र की पंचायत राज संस्थाओं / नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों को उक्त बैठक में आमंत्रित करेगें ताकि पंचायती राज संस्थाओं / नगरीय निकायों के माध्यम से "दुर्बल वर्ग" और "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों का गैर-सरकारी विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित करवाया जा सके।

11- "दुर्बल वर्ग" और "असुविधाग्रस्त समूह" के बालक/बालिकाओं हेतु निर्धारित 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिये गये बालकों की सूचना का निर्धारित प्रपत्र में संकलन करेगें। नॉडल प्रधानाध्यापक इस सूचना को शाला-वार संकलित कर ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी को, ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) को, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) उप निदेशक (प्रा.शि.) को तथा उप निदेशक (प्रा.शि.) निदेशालय को प्रेषित करेगें।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर ।

संलग्न- उपरोक्तानुसार-13 प्रपत्र

प्रपत्र–1

....

(विद्यालय का नाम)

प्रवेश हेतु दुर्बल वर्ग/असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के प्रवेश हेतु आवेदन–पत्र

(भाग–अ)

1. प्रवेशार्थी बालक/बालिका का नाम ....
(अंग्रेजी भाषा में केपिटल लेटर्स में) ....
2. जाति .... धर्म ....
3. प्रवेशार्थी की जन्म तिथि (अंको में) ....शब्दों में ....
4. प्रवेशार्थी का वर्ग – दुर्बल वर्ग/असुविधाग्रस्त समूह ....
5. माता/पिता/संरक्षक संबंधी विवरण

	पिता	माता	संरक्षक
नाम			
योग्यता			
व्यवसाय			
वर्तमान पता			
स्थाई पता			
फोन नं0 निवास			
फोन नं. कार्यालय			
मोबाईल नं0			
ई–मेल			

6. संरक्षक की स्थिति में प्रवेशार्थी से संबंध ....
7. बीपीएल सूची (राज्य/केन्द्र) में नाम हो तो विवरण ....
8. विकलांगता की स्थिति में विकलांगता का विवरण ....

नोट : जन्म तिथि, जाति, निवास स्थान, वार्षिक आय, बीपीएल सूची, विकलांगता संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

(भाग–ब)

माता/पिता/संरक्षक द्वारा सशपथ घोषणा

1. मैं सशपथ घोषणा करता/करती हूं कि भाग अ में प्रवेशार्थी के संबंध में दी गई समस्त सूचनाऐं सही हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये मैं सदैव जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।
2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि विद्यालय के नियमों/उप नियमों का सदैव पालन करूंगा/करूंगी। अन्यथा विद्यालय प्रबन्धन का निर्णय हमें स्वीकार होगा।

प्रस्तुत करने का दिनांक : ....

हस्ताक्षर
(माता/पिता/संरक्षक)

260

(भाग–स)

(विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्ती की रसीद)

प्रवेशार्थी का नाम .... पुत्र/पुत्री श्री .... का आवेदन पत्र रजिस्टर में .... क्रम संख्या पर दर्ज कर लिया गया है।

दिनांक : ....

हस्ताक्षर
(संस्था प्रधान/अधिकृत शिक्षक)

प्रपत्र–2ए

आवेदन पत्र जारी करने की पंजिका

क्र. स.	दिनांक	फार्म क्रमांक	नाम छात्र / छात्रा	माता / पिता संरक्षक का नाम	कक्षा जिसके लिए आवेदन पत्र जारी किया गया	माता / पिता का वर्ग	टिप्पणी

प्रपत्र–2 बी

आवेदन पत्र प्राप्त करने की पंजिका

क्रस	आवेदन पत्र प्राप्ति दिनांक	फार्म कमांक	नाम छात्र/छात्रा	माता/पिता/संरक्षक का नाम	कक्षा जिसके लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुआ	माता/पिता का वर्ग	टिप्पणी

प्रपत्र–3

........शाला..........

छात्र स्कालर रजिस्टर (एस.आर.रजिस्टर)

लेख प्रमाण (क) छात्र प्रवेशांक

रजिस्टर संख्या ....

प्रवेश दिनांक	छोडने का दिनांक	छोडंने का कारण

छात्र/छात्रा का नाम तथा धर्म	जन्म तारीख (अंको में व शब्दो में)	इस शाला में प्रथम प्रवेश का दिनांक	माता तथा पिता का नाम व्यवसाय व पता	संरक्षक का नाम व्यवसाय व पता	छात्र/छात्रा का निवास स्थान	पूर्व शाला का नाम जिसमें छात्र/छात्रा इस शाला में प्रवेश हो से पहले पढा हो	पूर्व विद्यालय को छोडते समय उत्तीर्ण हुआ था/किस कक्षा में प्रवेश किये जाने योग्य था	दुर्बल वर्ग/असुविधग्रस्त समूह
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रपत्र–4

(विद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जाने वाला प्रपत्र)

विद्यालय का नाम...नोडल केन्द्र का नाम..................................

प्रथम/पूर्व प्राथमिक कक्षा प्रवेश फार्म पंजिका (सत्र..............................)

क. स.	एस. आर.न. व दिनांक	नाम छात्र/छात्रा	माता/पिता/अभिभावक का नाम	वर्ग (दुर्बल/असुविधाग्रस्त समूह)	प्रमाणितकर्ता के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

हस्ताक्षर
संस्था प्रधान

प्रपत्र–5

नोडल अधिकारी को भेजा जाने वाला प्रपत्र

1 विद्यालय का नाम

2 पूर्व प्राथमिक / प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या

3 सीटो की संख्या का प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का 25 प्रतिशत

4 रिक्त स्थान की स्थिति

5 प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों का वर्गवार विवरण कुल प्रवेश कक्षा–1 / पूर्व प्राथमिक   असुविधाग्रस्त समुह / दुर्बल समूह

प्रमाणीकरण
(संस्था प्रधान द्वारा)

प्रपत्र–6

नोडल द्वारा प्रवेशित बालको की सूचना ब्लॉक को भिजवाया जाने वाला प्रपत्र

नोडल केन्द्र का नाम

नोडल केन्द्र के अतर्गत आने वाले निजी विद्यालयो की कुल संख्या (प्रावि / उप्रावि / मावि एवं उमावि)

क्रस	विद्यालय का नाम	25 प्रतिशत के अंतर्गत प्रथम कक्षा / पूर्व प्राथमिक में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या			कक्षा प्रथम के अलावा कक्षा 8 तक के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या			टिप्पणी
		दुर्बल वर्ग	असुविधाग्रस्त समूह	योग	दुर्बल वर्ग	असुविधाग्रस्त समूह	योग	
1								
2								
3								
4								
योग								

प्रपत्र–7

ब्लॉक द्वारा प्रवेशित बालको की सूचना जिशिअ को भिजवाया जाने वाला प्रपत्र

क्रस	नोडल केन्द्र का नाम	25 प्रतिशत के अंतर्गत प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या			कक्षा प्रथम के अलावा कक्षा 8 तक के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या			टिप्पणी
		दुर्बल वर्ग	असुविधाग्रस्त समूह	योग	दुर्बल वर्ग	असुविधाग्रस्त समूह	योग	
1								
2								
3								
4								
योग								

प्रपत्र–8

जिशिअ द्वारा प्रवेशित बालको की सूचना मंडल कार्यालय को भिजवाया जाने वाला प्रपत्र

क्रस	ब्लॉक कार्यालय का नाम	25 प्रतिशत के अंतर्गत प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या			कक्षा प्रथम के अलावा कक्षा 8 तक के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या			टिप्पणी
		दुर्बल वर्ग	असुविधाग्रस्त समूह	योग	दुर्बल वर्ग	असुविधाग्रस्त समूह	योग	
1								
2								
3								
4								
योग								

264

प्रपत्र–9

मंडल कार्यालय द्वारा प्रवेशित बालको की सूचना निदेशालय को भिजवाया जाने वाला प्रपत्र

क्रस	जिले का नाम	25 प्रतिशत के अंतर्गत प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या			कक्षा प्रथम के अलावा कक्षा 8 तक के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या			टिप्पणी
		दुर्बल वर्ग	असुविधाग्रस्त समूह	योग	दुर्बल वर्ग	असुविधाग्रस्त समूह	योग	
1								
2								
3								
4								
योग								

आर.टी.ई. प्रावधानान्तर्गत विद्यालय निरीक्षण प्रतिवेदन

1 विद्यालय का नाम

2 निरीक्षण तिथि

3 निरीक्षणकर्ता का नाम व पद

4 विद्यालय में स्वीकृत पदों की स्थिति

क्र.स.	स्वीकृत पद अध्यापक	कार्यरत	रिक्त	आरटीई मादण्डानुसार अधिशेष	आरटीई मादण्डानुसार आवश्यकता
1	2	3	4	5	6

5 निरीक्षण के दिन उपस्थिति

क्रस	नाम	पद	उपस्थिति / अनुपस्थिति / अवकाश
1	2	3	4

6. प्रथम कक्षा / प्री प्राईमरी के प्रवेश की संख्या (नामांकन उपस्थिति)

	निरीक्षण तिथि तक नवीन प्रवेश			आर टी ई के अन्तर्गत प्रविष्ट (25%)			निरीक्षण के दिन आईटीई अन्तर्गत प्रविष्ट छात्रों की								
							उपस्थिति			अनुपस्थिति			अवकाश		
कक्षा	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															

लगातार 2

7 विद्यालय में परिवाद पेटिका का संधारण एवं क्रियान्वयन

8 (1) विद्यालय भवन की रि (आरटीई के संबंध में)
कमरे की संख्या पर्याप्त / अपर्याप्त
(2) पेयजल की व्यवस्था
(3) शौचालय / मूत्रालय की व्यवस्थ बालकों के लिए बालिकाओं के लिए
(4) विद्युत व्यवस्था
(5) विद्यालय की चार दीवारी
(6) कम्प्यूटर की व्यवस्था

9 कक्षा शिक्षण में आरटीई के अन्तर्गत प्रविष्ट बालकों की बैठने की व्यवस्था पर टिप्पणी

10 निरीक्षणकर्ता की समग्र टिप्पणी

हस्ताक्षर निरीक्षणकर्ता अधिकारी
मय पद नाम

प्रपत्र–11

आरटीई सम्बंधी बालकों/माता–पिता की शिकायत निवारण पंजिका

विद्यालय का नाम.. सत्र ....

क्रस	शिकायत प्राप्ति दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायतकर्ता का विवरण	शिकायत निवारण की दिनांक	एस.एम.सी.अध्यक्ष की टिप्पणी	गत माह तक अनिस्तारित शिकायतों का नोडल अधिकारियों को प्रेषित विरण मय कारण

272

प्रपत्र–12

नोडल अधिकारी को आरटीई सम्बंधी बालकों / माता–पिता की अनिस्तारित शिकायत को भेजने का प्रारूप

(प्रति दो माह में भेजा जाने वाला प्रपत्र)

क्रस	विद्यालय का नाम	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायतकर्ता का विवरण	निस्तारण नही होने का कारण	एस.एम.सी.अध्यक्ष की टिप्पणी

संस्था प्रधान
के हस्ताक्षर

एसएमसी अध्यक्ष
के हस्ताक्षर

273

प्रपत्र–13

(यह टाईम फ्रेम प्रतिवर्ष 31 मार्च से पूर्व जारी करना आवश्यक है।)

गैर सरकारी विद्यालयों में आर.टी.ई. एक्ट प्रावधानानुसार प्रवेश प्रकिया का टाईम फ्रेम

विद्यालय का पूरा नाम मय पता........................ग्राम पंचायत / वार्ड..........................
ब्लाक का नाम / जिला का नाम.....................................

1. विद्यालय में प्रवेश के लिये प्रवेश फार्म वितरण की तिथिः–
2. विद्यालय में प्रवेश के लिये प्रवेश फार्म जमा करवाने की तिथिः–
3. आर.टी.ई एक्ट की धारा 12 के अन्तर्गत "दुर्बल वर्ग" एवं असुविधाग्रस्त समूह" के बालको कों 25 प्रतिशत निःशुल्क कैटेगिरी में प्रवेश देने की तिथिः–
4. आर.टी.ई. एक्ट के अन्तर्गत प्रवेश पत्र लेने वाले बालकों के लिए लॉटरी निकाले जाने की तिथिः
5. शेष 75 प्रतिशत बालकों को प्रवेश देने की तिथिः–
6. कॉलम 3 और 5 की कैटेगिरी में प्रवेश दिये गये बालकों की सूची जारी करने की तिथिः–
7. शाला में आरटीई के अन्तर्गत प्रवेशित बालकों की सूची नॉडल प्रधानाध्यापक को भिजवाने की तिथिः–

   (प्रवेश देने की अंतिम तिथि से 2 सप्ताह)

संस्था प्रधान।

....

....